नीतीश व महागठबंधन : लालू ने न्यौता दिया, तेजस्वी तैयार नहीं

दूसरी ओर नीतीश ने कहा लालू जो कहें, कहने दो, इसका ज्यादा महत्व नहीं

■ पर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बयानों से नये राजनीतिक समीकरण की अटकलें तेज हो गयी।

पटना, 02 जनवरी। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री एवं जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को महागठबंधन में वापस आने का न्योता दिया। वहीं, उनके पुत्र और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस पहल से असहमति जताई और कहा कि यह राजद प्रमुख का मीडिया के बार-बार पूछे जाने वाले सवालों को शांत करने का प्रयास है।

लालू प्रसाद यादव ने बुधवार रात बयान दिया कि यदि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का साथ छोड़कर महागठबंधन में लौट आते हैं तो उनकी पुरानी गलतियों को माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, "अब समय आ गया है कि कुमार हमारे साथ मिलकर काम करें।" उनके इस बयान से नए राजनीतिक समीकरण बनने की अटकलें तेज हो गई हैं।

वहीं, मुख्यमंत्री कुमार लालू के इस निमंत्रण से खास प्रभावित नजर नहीं आए। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "लालू प्रसाद यादव जो कह रहे हैं, उन्हें कहने दें। इसका ज्यादा महत्व नहीं है।" दूसरी ओर, नेता प्रतिपक्ष यादव ने स्पष्ट किया कि लालू प्रसाद यादव का यह बयान महज मीडिया के सवालों को शांत करने के लिए था। उन्होंने इसे राजनीतिक गर्मी को ठंडा करने का प्रयास बताया।

गौरतलब है कि नीतीश कुमार ने वर्ष 2015 में राजद के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया था, लेकिन वर्ष 2017 में उन्होंने गठबंधन तोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया और बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार बनाई। अगस्त 2022 में उन्होंने भाजपा से किनारा कर फिर से महागठबंधन का हिस्सा बन राजद के साथ सरकार बनाई। हालांकि, जनवरी 2024 में उन्होंने फिर से यू-टर्न लेते हुए राजग में वापसी कर ली।

लालू प्रसाद यादव के इस बयान ने बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल मचा दी है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आनेवाले दिनों में इस राजनीतिक खेल में और क्या मोड़ आते हैं। कांग्रेस ने लालू प्रसाद यादव के निमंत्रण का समर्थन किया है। विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने गुरुवार को संवाददाताओं से कहा कि उनकी पार्टी नीतीश कुमार के महागठबंधन में वापसी के लिए लालू प्रसाद यादव के प्रस्ताव का पूरा समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए गांधीवादी विचारधारा से जुड़े सभी लोगों को एकजुट होना चाहिए।

खान ने कहा, "मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधीवादी विचारधारा के समर्थक हैं। उन्हें गोडसे की विचारधारा से प्रेरित भाजपा से तुरंत किनारा कर लेना चाहिए।" उन्होंने यह भी कहा कि महात्मा गांधी के सिद्धांतों को आत्मसात करने वाले सभी लोगों का एक मंच पर आना स्वाभाविक है।

कांग्रेस नेता से जब राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की नीतीश कुमार को महागठबंधन में दोबारा शामिल कराने का विरोध करने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

डीग-कुम्हेर पर्यटन परियोजना को स्वदेश दर्शन योजना में शामिल करें

जयपुर, 2 जनवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्वी राजस्थान के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व वाले डीग-कुम्हेर-भरतपुर क्षेत्र में पर्यटन विकास हेतु 250 करोड़ रुपये की परियोजना को स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में शामिल करने के संबंध में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को पत्र लिखा है।

शर्मा ने बताया कि डीग-

■ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केन्द्रीय पर्यटन मंत्री को पत्र लिखा।

कुम्हेर-भरतपुर बृज संस्कृति का लोकप्रिय क्षेत्र है। यहां के किले, महल, जल-कुण्ड, स्मारक एवं मंदिरों आदि का एकीकृत पर्यटन सर्किट विकसित किये जाने से बृज लोककला व संस्कृति का संरक्षण होगा। इससे पूर्वी राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।

'माफिया मुख्तार अंसारी की मौत की रिपोर्ट बेटे को सौंपे'

सुप्रीम कोर्ट ने जेल में हुई मौत जांच की रिपोर्ट दो सप्ताह में देने के आदेश दिये

■ पांच बार विधायक रहे अंसारी को तबियत बिगडने पर बांदा जेल से मैडिकल कॉलेज ले जाया गया था, जहां दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गयी।

■ मुख्तार के परिजनों का आरोप है कि उसे धीमा जहर दिया गया था।

नई दिल्ली, 02 जनवरी। माफिया मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत पर सवाल उठाने वाली उमर अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान, मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि मुख्तार की मौत की न्यायिक जांच हुई है, पर अभी तक न्यायिक जांच की रिपोर्ट उन्हें नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि वह मुख्तार अंसारी की मेडिकल रिपोर्ट एवं मजिस्ट्रेट रिपोर्ट सहित, मौत की न्यायिक जांच की रिपोर्ट 2 हफ्ते में उमर अंसारी को उपलब्ध कराए।

बता दें कि मऊ सदर से पांच बार विधायक रहे 63 वर्षीय मुख्तार अंसारी की 28 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के बांदा स्थित एक अस्पताल में मौत हो गई थी। मार्च महीने में तबीयत बिगड़ने के बाद मुख्तार अंसारी को बांदा जिला जेल से रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था, जहां दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई थी। मुख्तार के परिजनों ने अंसारी को जेल में धीमा जहर देने का आरोप लगाया था।

गाजीपुर के सांसद और मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी ने भी उस समय आरोप लगाया था कि मुख्तार को धीमा जहर दिया गया था। अफजाल ने कहा था- मुख्तार ने बताया था कि करीब 40 दिन पहले भी उन्हें जहर दिया गया था और हाल ही में शायद 19 या 22 मार्च 2024 को फिर ऐसा किया गया, जिसके बाद से उनकी हालत खराब हो गई। अफजाल ने कहा था कि 21 मार्च को बाराबंकी की अदालत में एक मामले की डिजिटल माध्यम से सुनवाई के दिन मुख्तार के वकील ने अदालत में दरखास्त दी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके मुवक्किल को जेल में धीमा जहर दिया गया है, जिससे उनकी हालत बिगड़ती जा रही है।

मुख्तार के बेटे उमर अंसारी ने आरोप लगाया कि जेल में उनके पिता को धीमा जहर दिया गया था। हालांकि, अधिकारियों ने इस आरोप से इनकार किया। उमर ने कहा, "मेरे पिता ने हमें बताया था कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है। अब पूरा देश इस बारे में जानता है।" वर्ष 2005 से जेल में बंद रहे मुख्तार के खिलाफ 60 से अधिक आपराधिक मामले लंबित थे और उसे बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। उसकी मौत से पहले, बेटे ने दिसंबर, 2023 में शीर्ष अदालत का रुख किया और जान को खतरे का डर जताते हुए अपने पिता को उत्तर प्रदेश के बाहर किसी अन्य जेल में स्थानांतरित करने का निर्देश देने का आग्रह किया था।

राज्य सरकार ने 2023 में बैंच को आश्वासन दिया था कि यदि आवश्यक हुआ तो वह बांदा जेल के अंदर अंसारी की सुरक्षा मजबूत करेगी, ताकि उसे कोई नुकसान न हो।

सतीश शर्मा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आयुक्त के पद पर राजसथान में सेवाएं दे चुके हैं। उन्हें आयकर कानून का गहरा जानकार माना जाता है। राजस्थान में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के पद पर

■ केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने शर्मा को राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार दिया है। वे अभी पुणे में आयकर अंवेषण के डी.जी. पद पर भी सेवाएं दे रहे हैं।

कार्यरत नरेश कुमार बालोदिया 31 दिसम्बर 2024 को सेवानिवृत्त हो गए हैं, ऐसे में यह पद रिक्त होने के बाद केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने मंगलवार को आदेश जारी कर सतीश शर्मा को यह जिम्मेदारी सौंपी है।

डल्लेवाल इलाज : सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से सख्त नाराजगी जताई

अदालत ने स्पष्ट किया कि अस्पताल में भर्ती होने का मतलब यह नहीं की शांतिपूर्ण विरोध समाप्त कर दें

■ सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पंजाब सरकार का रवैया सुलह समझौते के पक्ष में बिल्कुल नहीं है।

नयी दिल्ली, 02 जनवरी। उच्चतम न्यायालय ने एक महीने से अधिक समय से राज्य की सीमा पर अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को अस्पताल ले जाकर चिकित्सा सहायता देने के लिए कई बार मोहलत दिये जाने के बावजूद, अपने आदेश पर अमल नहीं होने से पंजाब सरकार के प्रति गुरुवार को सख्त नाराजगी जताई और कहा कि राज्य सरकार का रवैया सुलह-समझौते के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है।

न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने फटकार लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने यह धारणा बनाई है कि अदालत किसान नेता डल्लेवालको चिकित्सा सहायता देने का आदेश देकर उनका अनशन तोड़ने की कोशिश कर रही है। पीठ ने इन टिप्पणियों के साथ यह भी स्पष्ट किया कि अस्पताल में भर्ती होने का मतलब यह नहीं है कि सम्मानित नेता डल्लेवालअपना शांतिपूर्ण विरोध समाप्त कर देंगे।

पीठ के समक्ष पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने सफाई दी कि राज्य सरकार कोई पक्षपातपूर्ण रुख नहीं अपना रही है। उन्होंने कहा, मौके पर मौजूद हमारे लोगों (राज्य सरकार के अधिकारी) ने उनसे (दल्लेवाल) अपनी भावना (चिकित्सा सहायता लेने की) व्यक्त की है, जो (केंद्र सरकार के) हस्तक्षेप के अधीन है।

इस पर पीठ ने उनसे पूछा, क्या आपने उन्हें बताया है कि हमने इस उद्देश्य के लिए एक समिति गठित की है? आपका रवैया सुलह के लिए बिल्कुल भी नहीं है, यही समस्या है...वे चिकित्सा सहायता के साथ अपना अनशन जारी रख सकते हैं। समिति की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है...हम जानते हैं कि कुछ लोग राजनीतिक बयान दे रहे हैं। उनमें कुछ किसान नेता भी हैं। डल्लेवालके लिए उनकी क्या मंशा है, इस पर भी गौर किया जाना चाहिए।

पीठ ने आगे कहा कि राज्य सरकार के अधिकारियों की ओर से मीडिया में जानबूझकर यह दिखाने का प्रयास किया गया कि अदालत डल्लेवालपर अनशन तोड़ने के लिए दबाव डाल रही है।

शीर्ष अदालत ने कहा, हमारे निर्देश उनका अनशन तोड़ने के नहीं थे। हमने सिर्फ इतना कहा कि उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए और फिर उनका अनशन जारी रह सकता है। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराने का मतलब यह नहीं है कि अनशन टूट गया है। हमारी चिंता उनकी जान को कोई नुकसान न पहुंचने देना है। एक किसान नेता के रूप में उनका जीवन कीमती है। वे किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े नहीं हैं। वे सिर्फ किसानों के मुद्दे को उठा रहे हैं।

इसके बाद सिंह ने पीठ के समक्ष फिर थोड़ा समय मांगा और कहा कि अधिकारी मौके पर हैं और राज्य सरकार इस मामले में सभी आवश्यक कदम उठाएगी।

शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से अनुपालन हलफनामा दाखिल करने को निर्देश दिया और कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार छह जनवरी 2025 को की जाएगी।

पीठ के समक्ष 31 दिसंबर, 2024 को पंजाब सरकार ने बताया था कि मंगलवार को प्रदर्शनकारी किसानों ने एक प्रस्ताव दिया है कि अनशन पर बैठे उनके नेता डल्लेवालतभी चिकित्सा सहायता लेंगे, जब केंद्र कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी सहित उनकी अन्य मांगों पर उनसे बात करने के लिए तैयार हो जाएगी।

ट्रेनी एस.आई. के जिला आवंटन का मसला हाई कोर्ट पहुँचा

हाई कोर्ट ने यथास्थिति के आदेश के बावजूद जिला आवंटन करना अवमानना है - याचिकाकर्ता

■ प्रार्थना पत्र पर हाई कोर्ट में 6 जनवरी को सुनवाई होगी।

जयपुर, 2 जनवरी। एसआई भर्ती-2021 के ट्रेनी एसआई को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से जिला आवंटन के खिलाफ हाईकोर्ट में लंबित याचिका में याचिकाकर्ता कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य ने प्रार्थना पत्र पेश किया है। इस पर छह जनवरी को सुनवाई होगी।

मामले में जुडे वकील हरेन्द्र नील ने बताया कि हाईकोर्ट ने गत 18 नवंबर को मामले में यथास्थिति बनाए रखने को कहा था। वहीं अदालत ने 22 नवंबर को मामले में राज्य सरकार को दो सप्ताह में अपना पक्ष रखने के आदेश देते हुए यथा-स्थिति जारी रखने को कहा था। इसके बावजूद पुलिस मुख्यालय ने गत 31 दिसंबर को आदेश जारी कर भर्ती ट्रेनी एसआई को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जिले आवंटित करने के आदेश जारी कर दिए। विभाग का यह आदेश अदालत के आदेश की अवमानना है।

हाईकोर्ट ने पूरी भर्ती प्रक्रिया पर ही यथास्थिति के आदेश दे रखें हैं तो ट्रेनी एसआई को जिला भी आवंटित नहीं किया जा सकता। ऐसे में इस आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाई जाए और अवमानना करने वाले अफसरों पर कार्रवाई की जाए। गौरतलब है कि याचिकाकर्ता ने भर्ती में हुए पेपर लीक को आधार बनाते हुए याचिका दायर की है और भर्ती को रद्द करने की गुहार कर रखी है।

संभल जामा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी एवं कुछ अन्य ने संभल की जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए चंदौसी में स्थित जिला संभल की सिविल कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। याचिका पर न्यायालय ने 19 नवंबर को जामा मस्जिद का सर्वे कराने के आदेश दिए थे तथा सर्वे करने के लिए रमेश सिंह राघव एडवोकेट को नियुक्त किया था। अदालत के आदेश पर, कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने संभल पहुंचकर जामा मस्जिद का सर्वे किया, मगर 19 नवंबर को सर्वे पूरा न होने पर 24 नवंबर को सुबह के समय दोबारा फिर सर्वे करने के लिए पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जामा मस्जिद गए। सर्वे के दौरान, संभल में भयानक उपद्रव हुए, जिसमें पांच लोगों की मृत्यु हो गई थी।

होसुर में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दौरा किया था। उसके बाद से राज्य के दो विकल्पों पर फोकस किया है इनका आगे भी सर्वे किया जा सकता है।

द्रमुक सरकार 2000 एकड़ में एयरपोर्ट बनाने की योजना बना रही है जो एक साल में तीन करोड़ यात्रियों को हैंडल कर सके। होसुर में आधुनिक वाहन बनते हैं खासकर ई वाहन। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से तमिलनाडू औद्योगिक विकास में सहायता मिलेगी।

चाचा-भतीजा...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आयोजन की नवीनीकृत कोशिश कहा जा सकता है या फिर इस खेल के सूत्रधार स्वयं सीनियर पवार ही हैं?

इस बीच, आशाताई के हाव-भाव की नकल करते हुये, इसी प्रकार की भावनाएं इन दिनों एन.सी.पी. विधायक नरहरि जिरवाल ने कहा है कि शरद पवार का अलग छोड़ देना उन्हें बड़ा अजीब लग रहा है तथा वे अब अजित और सीनियर पवार- दोनों से ही फिर से एक हो जाने का अनुरोध करेंगे। एन.सी.पी. प्रवक्ता अमोल नितकरी ने कहा कि अगर प्रयास किये जायें तो चाचा-भतीजे में मेल-मिलाप हो सकता है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर वावंकुले ने कहा है कि अगर दोनों पवार फिर से एक हो जाते हैं तो भाजपा को कोई आपत्ति नहीं होगी। उन्होंने कहा, "यह उनका निर्णय होगा।"

सावरकर नहीं मनमोहन सिंह के नाम कॉलेज खोलें

■ एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख कर मांग की

नई दिल्ली, 02 जनवरी। कांग्रेस की छात्र शाखा 'नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया' (एनएसयूआई) ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर, उनसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रस्तावित नए कॉलेज का नाम वीर सावरकर के बजाय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम पर रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को नजफगढ़ में वीर सावरकर कॉलेज की आधारशिला रखेंगे। इस संस्थान को 2021 में दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था।

प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने शिक्षा और प्रशासन में मनमोहन सिंह के योगदान पर प्रकाश डाला तथा अनुरोध किया कि कॉलेज उनकी विरासत का सम्मान करे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पिछले महीने 92 वर्ष की आयु में दिल्ली-स्थित एम्स में निधन हो गया था। पत्र में लिखा गया है, "माननीय प्रधानमंत्री जी, आप वीर सावरकर के नाम पर, दिल्ली वि.वि. के अंतर्गत आने वाले एक कॉलेज का उद्घाटन करने वाले हैं। एनएसयूआई दृढ़ता से मांग करती है कि इस संस्थान का नाम मनमोहन सिंह जी के नाम पर रखा जाए। उनके हाल ही में हुए निधन से एक बड़ी क्षति हुई है और उनके योगदान और विरासत को सम्मानित करने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि प्रमुख शैक्षिणक संस्थानों को उनके नाम पर समर्पित किया जाए।"

प्रधानमंत्री आज झुग्गीवासियों को फ्लैट की चाबी देंगे

नयी दिल्ली, 02 जनवरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सभी के लिए आवास की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता के अंतर्गत शुक्रवार को अशोक विहार स्थित स्वाभिमान अपार्टमेंट में स्लम पुनर्वास परियोजना के तहत, झुग्गी झोपड़ी समूहों के निवासियों के लिए नवनिर्मित फ्लैटों का दौरा करेंगे। वहां झुग्गी बस्तियों के निवासियों के लिए 1,675 फ्लैट बनाए गए हैं।

प्रधानमंत्री कार्यालय की गुरुवार को जारी एक विज्ञिप्त के अनुसार, मोदी कल अपराह्न करीब सवा बारह बजे गरीबों के लिए बनाए गए अपार्टमेंटों का निरीक्षण करेंगे। वे उसके बाद करीब 12 बजकर 45 मिनट पर उसी इलाके में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में दिल्ली में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

बिहार : परीक्षा में अनियमितता पर प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे

■ प्रशांत किशोर के साथ उनकी पार्टी के कार्यकर्ता व छात्र बड़ी संख्या में गांधी मैदान पर बैठे हैं।

पटना, 02 जनवरी। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा में अनियमितता के खिलाफ अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। किशोर गुरूवार को बीपीएससी परीक्षा में हुई अनियमितता के खिलाफ गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के समीप अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उनके साथ बीपीएससी अभ्यर्थी और जन सुराज के कई लोग भी धरना स्थल पर बैठे हैं। किशोर ने कहा कि जब तक बच्चों को न्याय नहीं मिलता, तब तक वे अनशन पर बैठे रहेंगे। जन सुराज ने छात्रों के हित में सरकार के समक्ष पांच मांगें रखी हैं। इन मांगो में 70वीं बीपीएससी परीक्षा में हुई अनियमितता और भ्रष्टाचार की उच्चस्तरीय जांच और पुनर्परीक्षा कराई जानी चाहिए। 2015 में 7 निश्चय के तहत किए वादे के अनुसार, 18 से 35 साल के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। पिछले 10 वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई अनियमितता और पेपर लीक की जांच एवं दोषियों पर की गई कार्रवाई पर श्वेत पत्र जारी किया जाय। लोकतंत्र की जननी बिहार को लाठीतंत्र बनाने वाले दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। बिहार की सरकारी नौकरियों में बिहार के युवाओं की कम से कम दो तिहाई हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए डोमिसाइल नीति लागू की जाऐ।

किशोर के साथ बीपीएससी के कई छात्र, आनंद मिश्रा, अफाक अहमद, सीताराम यादव, ललन यादव, किशोर कुमार, वसीम नैयर अंसारी, डॉ. बी.बी. शाही समेत सैकड़ों नेता प्रशांत किशोर के साथ गांधी मैदान में बैठे हैं।

श्वानों के नोचने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

करने और उनका बधियाकरण करना जरूरी है, जिससे शहर में ऐसे हिंसक पशु का विचरण नहीं हो। आयोग ने कहा कि नगर परिषद आयुक्त को पूर्व में भी आवारा कुत्तों की शिकायत मिली थी। इसके बावजूद भी आवारा श्वानों के बधियाकरण को लेकर कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए।

ओवैसी ने पूजा...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की जनहित याचिका में उसे पार्टी बनाया जाए। उपाध्याय की याचिका में प्लेसेज़ ऑफ वर्शिप (स्पेशल प्रोवीजन्स) एक्ट, 1991 की वैधता को चुनौती दी गई थी।

दिसम्बर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने देशभर ट्रायल कोर्ट्स को निर्देश दिया था कि मौजूदा धर्मस्थलों के सर्वे करवाने का आदेश जारी नहीं करे, खासकर ऐसे मामलों में जिसमें किसी धर्म स्थल के धार्मिक स्वरूप को चुनौती दी गई हो। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि एक्ट में इस तरह के मामले दर्ज करने पर रोक लगाई गई है। इस आदेश से देश भर में धर्म स्थलों से जुड़े 18 लम्बित मामले प्रभावित होंगे। विभिन्न अलग-अलग व्यक्तियों व हिंदू संगठनों द्वारा दायर इन मामलों में संबंधित मस्जिदों के बारे में दावा किया गया है कि ये हिंदू मंदिरों पर बनाई गई थी।

'डॉ. अंबेडकर 2 जनवरी, 1940 को आर.एस.एस...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

■ इसी रणनीति के तहत संघ ने कांग्रेस के नेता सरदार पटेल, सुभाष चन्द्र बोस, जयप्रकाश नारायण को अपना लिया है और अब डॉ. भीमराव अंबेडकर को भी हथिया लेना चाहता है।

तथा आर.एस.एस. के बीच एक अन्तर है। आर.एस.एस. की ग्रोथ की गति के बारे में उनके मन में सन्देह थे। इस दृष्टि से डॉ. अम्बेडकर और आर.एस.एस. का विश्लेषण किये जाने की जरूरत हैं।"

अपने बयान में, विश्व संवाद केन्द्र ने कहा कि संघ पर लगा यह आरोप, कि वह केवल ब्राह्मणों के लिये है, आज गलत सिद्ध हो चुका है।

वी.एस.के. ने कहा कि महात्मा गांधी 1934 में महाराष्ट्र के वर्धा नगर में आयोजित आर.एस.एस. के शिविर में गये थे, जहाँ उन्होंने यह महसूस किया था कि संघ में विभिन्न जातियों और धर्मों के स्वयंसेवक हैं।

इसने कहा, "उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया कि शिविर में किसी भी स्वयंसेवक की रुचि अपनी या अन्य स्वयंसेवकों की जाति जानने में नहीं थी। प्रत्येक स्वयंसेवक के मन में केवल एक ही भावना थी कि हम सब हिन्दू हैं। यही कारण था कि स्वयंसेवकों की दैनिक गतिविधियाँ सहजता के साथ चलती थी"। वी.एस.के. आगे कहता है, "गांधीजी यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुये। अगले दिन उन्होंने (आर.एस.एस. संस्थापक) डॉ. हेडगेवार के साथ मीटिंग की, जिसमें उन्होंने छुआछूत के उन्मूलन के कार्यक्रम की सफल क्रियान्विति के लिये डॉ. हेडगेवार को बधाई दी।"

वी.एस.के. ने यह भी कहा कि आर.एस.एस. को इस आरोप का सामना करना पड़ता है कि वह राष्ट्र ध्वज का सम्मान नहीं करती तथा 15 अगस्त एवं 26 जनवरी को तिरंगा झंडा नहीं फहराती, लेकिन ये आरोप सच नहीं हैं।

आर.एस.एस. मुखपत्र के अनुसार, यह आरोप लगाया गया था कि संघ के स्वयंसेवकों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया था। लेकिन जब यह बताया गया कि आर.एस.एस. के संस्थापक डॉ. हेडगेवार ने "जंगल सत्याग्रह" के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में उस समय भाग लिया था, जब वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे, तो लोगों तथा विरोधियों ने इस बात पर विश्वास कर लिया।

करीब चार दशक पहले, शहीद भगत सिंह, चन्द्रशेखर आज़ाद तथा राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रान्तिकारियों और कांग्रेस के बीच फासला पैदा करने में सफल होने के बाद, आर.एस.एस. ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में चले स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न नेताओं को हथिया लेने की एक विस्तृत कार्य-योजना बनाई थी।

हिन्दू महासभा सदस्य नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या के बाद, जनमानस में अपनी छवि सुधारने की दृष्टि से, संघ अपने नाम के साथ स्वतंत्रता आन्दोलन नायकों को जोड़ने के तरीकों और साधनों की जबरदस्त तलाश शुरू कर दी, क्योंकि कांग्रेस, क्रान्तिकारियों के साथ मतभेद होने के बावजूद सदैव ही उनके साथ खड़ी दिखाई देती थी, तथा इसलिये जनमानस में एक उच्च कोटि के सिद्धान्तों वाली पार्टी बनी हुई थी।

आर.एस.एस. इस बात को जानती थी कि जब तक यह नेहरू तथा उनके परिवार की साख को जनता की नज़रों में समाप्त नहीं कर देगी, उसका राजनैतिक स्वरूप, भाजपा देश की सत्ता पर कभी काबिज नहीं हो सकेगी।

चूँकि हर लोकप्रिय आन्दोलन में सोच एवं दृष्टिकोण का कुछ अन्तर हुआ ही करता है, इसी प्रकार की सोच का अन्तर स्वतंत्रता आन्दोलन में भी था, तथा आर.एस.एस. में इसी का अनुचित फायदा उठाना शुरू कर दिया। नेहरू को छोड़कर, आर.एस.एस. ने स्वतंत्रता आन्दोलन के हर नेता को अपना बनाने की कोशिश शुरू कर दी। सरदार पटेल, सुभाष बोस, जय प्रकाश नारायण जैसी कुछ हस्तियाँ एक प्रकार से कांग्रेस के प्रति कुछ बिन्दुओं पर, निर्लिप्त भाव रखने लगी थीं। और आर.एस.एस. ने तिल का ताड़ बनाते हुये, इन नेताओं को अपना बनाने की मुहिम छेड़ दी। डॉ. अम्बेडकर, वह नवीनतम हस्ती हैं, जिन्हें दलित वोटों की खातिर संघ परिवार द्वारा अपनाने की कोशिश की जा रही है।

कुछ विशेषज्ञों के अनुसार अब जरूरत इस बात की है कि भाजपा से यह पूछा जाये कि अब वोट बैंक की राजनीति कौन कर रहा है, क्योंकि भाजपा दशकों से यह आरोप कांग्रेस पर लगाती आ रही है। कांग्रेस के मामले में इसे "मुस्लिम तुष्टीकरण" कहा जाता था। अब, क्या यह "दलित तुष्टीकरण" है?

उत्कर्ष कोचिंग सैंटर पर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बीच कुछ महीनों पहले 800 करोड़ रु. की पार्टनरशिप को लेकर बड़ी डील हुई थी। इसके बाद उत्कर्ष के प्रबंधन में "फिजिक्स वाला" की इन्वॉल्वमेंट और बड़े पैमाने पर अघोषित लेनदेन हुआ। फिलहाल आयकर विभाग ने सर्च कार्रवाई के बारे में कोई खुलासा नहीं किया है, परंतु सूत्रों का कहना है कि छात्रों की फीस को लेकर बड़े पैमाने पर अनियमितताएं भी सामने आयी है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग की ज्वाइंट डायरेक्टर प्रेरणा चौधरी के निर्देशन उत्कर्ष कोचिंग सेंटर पर छापेमारी की पूरी कार्रवाई हुई। इस कोचिंग समूह के डायरेक्टर निर्मल गहलोत के जोधपुर में उम्मेद हैरिटेज स्थित बंगले और बासनी मंडी स्थित मुख्यालय पर भी कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान आयकर टीमों ने सभी जगह कोचिंग सेंटर के कर्मचारियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए और विद्यार्थियों को क्लासरूम से बाहर कर दिया। आयकर विभाग को उत्कर्ष के खिलाफ कई शिकायतें मिली थीं तब से ही आयकर विभाग के अधिकारी उत्कर्ष के ठिकानों पर नज़र रखे हुए थे। अब आयकर विभाग की सर्च की कार्रवाई पूरी होने के बाद ही इस मामले का खुलासा हो सकेगा।

बताया जा रहा है कि उत्कर्ष कोचिंग समूह पर छापेमारी में आयकर विभाग की टीमों ने समूह से जुड़े अन्य लोगों और व्यवसायियों पर भी कार्रवाई की है। इनमें समूह को कम्प्यूटर हार्डवेयर सप्लाई करने वाले हरी एंटरप्राइजेज, प्रिंटिंग का काम करने वाले जैन समूह, उत्कर्ष के अकाउंटिंग विभाग की जिम्मेदारी संभालने वाले और अन्य सामग्री सप्लाई करने वाले बड़े वैंडर्स पर भी कार्रवाई की गई है।

बताया जा रहा है कि इन्हीं में एक वैंडर ऐसा भी है, जिसने जोधपुर में इलैक्ट्रॉनिक्स की सामान्य दुकान से शुरुआत की थी। इस वैंडर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के मकान छोड़कर शहर की सबसे पॉश और महंगी आवासीय कॉलोनी उम्मेद हैरिटेज में बंगला खरीदने और सबसे महंगे व्यवसायिक इलाकों में से एक जलजोग क्षेत्र में शोरूम लगाने तक पर आयकर विभाग की नज़र पहले से थी।

सूत्रों के अनुसार फिज़िक्स वाला-उत्कर्ष डील के बाद इसके मालिक आईपीओ लाने की भी तैयारियों में जुटे थे।

ऐसे में गुरुवार को हुई आयकर विभाग की कार्रवाई का असर इन पर पड़ने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। यह भी पता चला है।

पिछले कुछ महीने में प्रॉपर्टी से जुड़े बड़े सौदे भी किए गए थे। इनकी भी जानकारी टीम को मिली है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908